

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष
सीपी (सीएए) / 36(पीबी) / 2026

सम्बद्ध

सीए (सीएए) नं 7 / पीबी / 2026
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा
230-232 तथा अन्य लागू
प्रावधानों के विषय में

और

यामाहा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
और यामाहा मोटर इंडिया सेल्स
प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया यामाहा
मोटर प्राइवेट लिमिटेड और उनके
संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों
यामाहा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
के बीच व्यवस्था की समग्र योजना
("योजना") के मामले में

यामाहा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के
तहत 01 नवंबर, 1995 को निगमित एक
प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी, जिसका
काँ पॉ रेट पहचान संख्या
U74900DL1995PTC073540 है और
जिसका पंजीकृत कार्यालय फर्स्ट फ्लोर
द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर, 70 नेहरू प्लेस,
बिहाईड आईएफसीआई टॉवर, साऊथ
दिल्ली, नई दिल्ली-110019, इंडिया.

...डिमज्ड कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी 1

और

यामाहा मोटर इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के
तहत 09 अगस्त, 2005 को निगमित
एक प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी, जिसका
काँ पॉ रेट पहचान संख्या
U50300DL2005PTC139501 है और
जिसका पंजीकृत कार्यालय फर्स्ट फ्लोर
द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर, 70 नेहरू प्लेस,
बिहाईड आईएफसीआई टॉवर, साऊथ
दिल्ली, नई दिल्ली-110019, इंडिया.

...हस्तांतरणकर्ता कंपनी /

याचिकाकर्ता कंपनी 2

इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड,
कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के
तहत 17 अक्टूबर, 2007 को निगमित
एक प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी, जिसका
काँ पॉ रेट पहचान संख्या
U34200DL2007PTC169496 है और
जिसका पंजीकृत कार्यालय फर्स्ट फ्लोर
द ग्रेट ईस्टर्न सेंटर, 70 नेहरू प्लेस,
बिहाईड आईएफसीआई टॉवर, साऊथ
दिल्ली, नई दिल्ली-110019, इंडिया.

.....परिणामी कंपनी / हस्तांतरित

कंपनी / याचिकाकर्ता कंपनी 3

याचिका की सुनवाई की सूचना

एक संयुक्त याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के
साथ पठित धारा 230 से 232 के तहत
यामाहा मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
और यामाहा मोटर इंडिया सेल्स प्राइवेट
लिमिटेड और इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट
लिमिटेड उनके संबंधित शेयरधारकों एवं
लेनदारों के बीच व्यवस्था की योजना के
अनुमोदन के लिए 01.06.2026 को एक
संयुक्त याचिका दाखिल की गई थी और
माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ के
समक्ष प्रस्तुत की गई थी और आदेश
दिनांक 04 जून, 2026 को राष्ट्रीय कंपनी
विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ के समक्ष
दूसरी मोशन याचिका पर सुनवाई की
तिथि 16 जुलाई, 2026 को निर्धारित की
गई है।

कोई व्यक्ति जो उक्त संयुक्त याचिका
का समर्थन या विरोध करने का इच्छुक
हो वह याचिकाकर्ता कंपनियों के
अधिवक्ता को अपने आश्रय की सूचना,
अपने पूरे नाम और पते सहित अपने या
अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर के साथ
संयुक्त याचिका पर सुनवाई के लिए
निर्धारित दिन अर्थात् 16 जुलाई, 2026
से कम से कम दो दिन पूर्व याचिकाकर्ता
कंपनियों के अधिवक्ता के पास भेज
सकता है। यदि वह संयुक्त याचिका का
विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध का
आधार या शपथपत्र की एक प्रति ऐसी
सूचना के साथ प्रस्तुत की जाए। संयुक्त
याचिका की प्रति की मांग करने वाले
व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क
का भुगतान करने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा
इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता / -

अधिवक्ता अनुभव गोयल

मैसर्स पीकेएमजी लॉ चैम्बर्स

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

171, चित्रा विहार, दिल्ली-110092

दिनांक : 08.06.2026